बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

संख्या-11/आ०2-10120/2025- 525 पटना, दिनांक- 14/03/2026

जिला पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा जिला अन्तर्गत संचालित जलापूर्त्ति योजनाओं की विभिन्न पदाधिकारियों के स्तर से स्थल जाँच कराये जाने के पश्चात अपने पत्रांक-1104, दिनांक-08.08.2025 द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार खगड़िया, गोगरी, चौथम, बेलदौर, मानसी एवं परबत्ता प्रखंडो के अन्तर्गत 192 योजनाओं की जाँच में 19 योजनाएँ बंद पायी गयी। खगड़िया, अलौली, बेलदौर, चौथम, मानसी एवं परबत्ता प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों के अन्तर्गत कई वार्डो के सभी घरों में गृह जल संयोजन से आच्छादित नहीं किया गया है। साथ ही योजनाओं का परिचालन एवं रख-रखाव विभागीय मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा था।

02. जिला पदाधिकारी, खगड़िया के स्तर से करायी गयी जाँच के पश्चात अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय अंचल द्वारा भी उन योजनाओं की पुनः जाँच करायी गयी, जिसमें यह पाया गया कि 02 योजनाएँ बन्द थी एवं 1945 घरों में गृह जल संयोजन का कार्य नहीं कराया गया था। साथ ही 1164 घरों में गृह जल संयोजन तो था, परन्तु जलापूर्त्ति बाधित थी। इसके अतिरिक्त कई योजनाएँ ऐसी थी, जिनमें अभी भी मानक के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था। अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय अंचल द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया था कि आमजन को शुद्ध पेयजल का लाभ उपलब्ध कराने में कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया की नकारात्मक भूमिका परिलक्षित होती है।

03. CGRC Portal पर लंबित शिकायतों के निष्पादन की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर दिनांक-09.12.2025 को की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया अन्तर्गत कुल 513 अदद शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें 476 अदद शिकायतों का निष्पादन किया गया है एवं शेष 37 अदद शिकायतें अभी भी लंबित है। पूर्व से निष्पादित शिकायतों में से 84 अदद शिकायतों को Reopen किया गया है, जो अभी भी लंबित है। एक से अधिक बार Reopen किये गये शिकायतों की संख्या 28 अदद है। इसके अतिरिक्त 241 अदद शिकायतों का निष्पादन विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के पश्चात किया गया है।

04. श्री सरोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया के स्तर से CGRC Portal पर कुल 476 अदद शिकायतों को निष्पादित दिखाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अपलोड किया गया है, जबकि विभागीय नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर शिकायतकर्त्ताओं से मामले का सत्यापन कराने पर कुल 84

अदद शिकायतकर्त्ताओं का Feedback असंतोषप्रद पाया गया है, जिसके कारण सभी 49 प्रमंडलों के विभागीय रैंकिंग में खगड़िया प्रमंडल 35वें पायदान पर है।

05. जिला पदाधिकारी, खगड़िया के स्तर से करायी गयी जाँच में पायी गयी त्रुटियों एवं CGRC Portal पर अत्यधिक संख्या में लंबित शिकायतों से स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा विभागीय संकल्प के अनुसार जलापूर्त्ति योजनाओं के संचालन में लापरवाही बरती जा रही है। Portal पर पूर्व से निष्पादित शिकायतों के Reopen होने एवं एक से अधिक बार Reopen होने से यह स्पष्ट है कि संबंधित शिकायतों का निष्पादन किये बिना ही भ्रामक प्रतिवेदन अपलोड कर विभाग को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

06. लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया में संचालित सभी योजनाएँ विभाग द्वारा निर्मित है एवं इसके सुचारू संचालन हेतु पूर्व से ही संवेदक की व्यवस्था की गयी है। इसके बावजूद श्री कुमार द्वारा विभागीय मानक के अनुरुप योजनाओं का संचालन नहीं करने एवं ससमय शिकायतों का निराकरण नही कराने से यह स्पष्ट है कि वे अपने कार्यो के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। जलापूर्त्ति योजनाओं के बन्द रहने एवं CGRC Portal पर प्राप्त शिकायतों का ससमय निराकरण नहीं कराने से सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना से ग्रामीण शुद्ध पेयजलापूर्त्ति के लाभ से वंचित हैं। इस संबंध में दिनांक-18.11.2025 एवं इसके पूर्व भी साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठकों में श्री कुमार को लंबित शिकायतों का यथाशीघ्र विभागीय SOP के तहत त्वरित निष्पादन किये जाने का निदेश दिया जाता रहा है, परन्तु इसके बावजूद उनके क्रिया-कलाप में कोई सुधार नहीं आया है। श्री कुमार के स्तर से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों तथा संवेदकों के विरूद्ध भी न तो कोई कार्रवाई की गयी और न हीं उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु वरीय पदाधिकारियों/विभाग को प्रस्ताव ही उपलब्ध कराया गया। श्री कुमार के प्रमंडल में पदस्थापित रहने से विभागीय योजनाओं के संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

07. जिला पदाधिकारी, खगड़िया के स्तर से कराये गए स्थल जाँच में योजनाओं के बन्द पाये जाने एवं विभागीय मानक के अनुरूप योजनाओं का संचालन नही करने के कारण श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-2246, दिनांक-24.10.2025 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है, जो अब तक अप्राप्त है।

08. श्री कुमार का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना का परिचायक तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री कुमार प्रथम द्रष्टया दोषी हैं एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण

एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत उन्हें निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः वर्णित स्थिति में श्री सरोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

09. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय, मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर रहेगा।

10. निलंबन के दौरान श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

11. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

14/3

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०2-10120/2025- 526 पटना, दिनांक- 14/03/2026

प्रतिलिपिः-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, खगड़िया/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०2-10120/2025- 526 पटना, दिनांक- 14/03/2026

प्रतिलिपिः-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०) के आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भगलपुर/अधीक्षण अभियंता, बेगूसराय/प्रशाखा पदाधिकारी-01, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री सरोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया/विभागीय आई०टी० मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)

ज्ञापांक-11/आ०2-10120/2025-- 526 पटना, दिनांक-14/03/2026

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु०)